छ.ग. राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार

पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 38 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार का गठन किया गया है, जो 23 अप्रैल 2013 से कार्यरत है।

कार्य

(1) किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किया गया कोई असद्भावनापूर्ण कार्य या कार्य लोप जिसका परिणाम निम्न हो या निम्नांकित श्रेणी में आये :-

पुलिस अभिरक्षा में -

(क) मृत्यु, अथवा

(ख) बलात्कार अथवा बलात्कार का प्रयास, अथवा

(ग) गंभीर उपहति

से संबंधित पीड़ित अथवा पीड़ित के नजदीकी रिश्तेदार द्वारा शिकायत करने पर जांच कर शासन को कार्यवाही हेतु अनुशंसा करना।

(2) ऐसे अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे।

कार्य करने हेतु प्राधिकार का दायरा

01. घटना दिनांक के 06 माह के अन्दर शिकायत प्राप्त होने पर ।

02. शपथ पत्र के द्वारा समर्थित शिकायत प्राप्त होने पर ।

03. सभी कुछ दायरा में होते हुए भी उन शिकायतों की जांच प्राधिकार नही करेगा जो मानव अधिकार आयोग अथवा जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत जांच के विषयवस्तु हो या न्यायालय में विचाराधीन हो ।

आर.सी. पटेल, सदस्य, 0771-2429853

छ.ग. राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार,
कार्यालय,
स्टेट गेस्ट हाऊस '' पहुना '' के पीछे,
केनाल रोड, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.)
फैक्स नंबर 0771-2429854

01/01/2013 04:10 07712429854 CGSPAA RAIPUR PAGE 02